बस्तीराम वगैराह बनाम गोरधनराम वगैराह
दावा क्रमांक 178/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/336

— : आदेश :—

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बस्तीराम के हक बंट में मौजा बौड़वा के खेत खसरा नम्बर 692 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से 2.9542 हैक्टेयर दक्षिणी—पश्चिमि भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 सुरेश बाज्या के हक बंट में मौजा बौड़वा के खेत खसरा नम्बर 692 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से 2.9542 हैक्टेयर उत्तरी—पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमाशः गोरधनराम, सुमित्रा एवं मंजु के सहखातेदारी में मौजा बोड़वा को खेत खसरा नम्बर 185 रकबा 0.7770 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

माफिक नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का हिस्सा रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.02.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner